

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या: 758 / सीईओ-2-31/2-2016 लखनऊ दिनांक: 22 फरवरी, 2017

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,  
प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झाँसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर,  
बौदा, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, बलरामपुर, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकर  
नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, अमेठी,  
सुल्तानपुर, बाराबंकी, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़,  
मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र तथा  
जौनपुर।

विषय: विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017-मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के दृष्टिगत आयोग द्वारा ऐसे मतदाता, जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने हेतु आयोग के पत्र सं०-3/4/आईडी/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसी/जेयूडी/एसडीआर/वॉल्यूम-1/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 द्वारा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज भी जारी किये गये हैं। आयोग के निर्देश की प्रति इस कार्यालय के पत्र सं०-1969/सीईओ-2-22/2-2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा आपको भेजी जा चुकी है।

2- आयोग के उक्त निर्देश की प्रति पुनः संज्ञानार्थ आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,  
22.02.17  
(जितेन्द्र प्रताप सिंह)  
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या: 1969/सीईओ-2-22/2-2016 लखनऊ दिनांक: 28 दिसम्बर, 2016  
सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

विषय: आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में आयोग के निर्देश दिनांक 21.12.2016 का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग के पत्र संख्या-3/4/ID/ECI/LET/ FUNC/ JUD/SDR/VOL.I/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 तथा उसके साथ संलग्न आयोग के आदेश संख्या-3/4/ID/2016/SDR-VOL.I दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 की छाया प्रति आपको इस आशय से भेजी जा रही है कि कृपया आयोग के आदेशों की प्रति चुनाव प्रेक्षक/रिटर्निंग आफिसर/सहाय रिटर्निंग आफिसर, सभी पीठासीन अधिकारियों तथा अन्य सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इन आदेशों का व्यापक प्रचार/प्रसार कराया जाय, उपयुक्त समय पर सभी उम्मीदवारों को लिखित रूप से आयोग के निर्देशों से अवगत करा दिया जाय।

कृपया आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)  
28.12.16

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या: 1969(1)/सीईओ-2 तददिनांक

प्रतिलिपि सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-3/4/ID/ECI/LET/ FUNC/ JUD/SDR/VOL.I/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)  
28.12.16

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

Election Urgent

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 3/4/ID/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL.I/2016/

Dated: 21<sup>st</sup> December, 2016

To.

- The Chief Electoral Officer's
- 1. Goa
- 2. Manipur
- 3. Punjab
- 4. Uttarakhand
- 5. Uttar Pradesh

Subject:- General Elections to the State Legislative Assemblies, 2017- Commission's order regarding identification of electors.

Sir,

The Commission has directed that in the upcoming elections to the State Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh all electors, who have been issued EPIC have to produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. **Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the alternative photo identity documents mentioned in paragraph 8** of the Order for establishing their identity.

2. In the case of EPIC, minor discrepancies in the entries therein should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such cards shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 of the Order.

3. The overseas electors shall have to produce their original passport only for identification.

4. The Order may be brought to the notice of the Returning Officers and all Presiding Officers. A copy of the Order translated in the vernacular language should be supplied to each of the Presiding Officers.


5. The Commission's Order dated 21<sup>st</sup> December, 2016, may be got published in the State, Gazette. This Order may be also given wide publicity through print/electronic media for information of the general public and electors. All contesting candidates at the said general elections may also be informed, in writing, of this direction of the Commission at the appropriate stage.

6. Please note that in column (3) of Form 17A (Register of Voters) the last four digits of the Identification document should be mentioned. In the case of electors voting on the basis of the EPIC and Authenticated Photo voter Slip, it is sufficient that the letters 'EP' (denoting EPIC) and 'VS' (denoting photo voter slip), respectively, is mentioned in the relevant column, and it is not necessary to write down the number of the EPIC or the Photo Voter Slip. However, in the case of those who vote on the basis of any alternative documents, the instructions to note down the last four digits of the document shall continue to apply. The type of the document produced should also be mentioned therein.

7. The Returning Officers shall be instructed to note the implications of this Order and explain the contents thereof to all Presiding Officers through special briefings. They should also ensure that a copy of this letter is available with the Presiding Officers at all polling stations / booths in the constituency.

8. Kindly acknowledge receipt and confirm action taken.

Yours faithfully,

  
(N.T. BHUTIA)  
Under Secretary

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/4/ID/2016/SDR-Vol.I

Dated: 21<sup>st</sup> December, 2016

## ORDER

**Subject: - Upcoming general elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh- Identification of electors in polling stations.**

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and
2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and
3. Whereas, Rules 49H(3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and
4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and
5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28<sup>th</sup> August, 1993, under Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960 directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to a substantially large number of electors in the States of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh; and

7. Whereas, in addition the Commission has directed that '**Authenticated Photo Voters Slips**' shall be distributed by the election authorities to the electors before the date of poll for the upcoming General Elections;

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for upcoming general elections to the State Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, all electors who have been issued EPICs shall produce their EPICs for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall have to produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:-

- (i) Passport;
- (ii) Driving License;
- (iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;
- (iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;
- (v) PAN Card;
- (vi) Smart Card issued by RGI under NPR;
- (vii) MNREGA Job Card;
- (viii) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;
- (ix) Pension document with photograph,
- (x) Authenticated Photo Voter Slip issued by the election machinery;
- (xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs; and
- (xii) Aadhaar Card.

9. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above.

10. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport **only** (and no other identity document) in the polling station.

By Order,



(K.F. WILFRED)  
PRINCIPAL SECRETARY

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आईडी/ईसीआई/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खंड-1/2016

दिनांक: 21 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1. गोवा
2. मणिपुर
3. पंजाब
4. उत्तराखण्ड
5. उत्तर प्रदेश

विषय : राज्य विधान सभाओं का साधारण निर्वाचन, 2017-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश।

महोदय,

आयोग ने निदेश दिया है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभाओं के आगामी निर्वाचनों में ऐसे सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किए गए हैं, को अपने मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना है। जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

2. एपिक के मामले में, उसकी प्रविष्टियों की मामूली असंगतियां नजरअंदाज कर दी जानी चाहिए बशर्ते एपिक द्वारा निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके। अगर निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड प्रस्तुत करते हैं जो दूसरे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में मौजूद हो जहां निर्वाचक मतदान करने उपस्थित हुए हैं। अगर फोटोग्राफ, आदि के बेमेल होने की वजह से निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव नहीं हो तो निर्वाचक को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा।



3. प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट ही पेश करना होगा।
4. ये आदेश संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। इस आदेश की प्रादेशिक भाषा में अनूदित एक प्रति हर एक पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
5. आयोग का आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाए। इस आदेश का जन-सामान्य एवं निर्वाचकों की जानकारी के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उक्त साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश से लिखित रूप में उपयुक्त रूप से अवगत कराया जाए।
6. कृपया नोट करें कि प्रपत्र 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तंभ (3) में पहचान दस्तावेज के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एपिक और प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों के मामले में यह पर्याप्त होगा कि क्रमशः अक्षर 'ईपी' (एपिक का सूचक) और 'वीएस' (फोटो मतदाता पर्ची का सूचक) का संगत स्तंभ में उल्लेख कर दिया जाए और एपिक या फोटो मतदाता पर्ची की संख्या लिखना आवश्यक नहीं है। हालांकि, जो लोग कोई वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करते हैं उनके मामले में दस्तावेज के अंतिम चार अंकों के लिखे जाने के अनुदेश लागू बने रहेंगे। उसमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के प्रकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
7. रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाएं कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को उसकी विषय-वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों में उपलब्ध हो।
8. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,



(एन. टी. भूटिया)

अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आईडी/2016/एसडीआर-खंड-I

दिनांक: 21 दिसम्बर, 2016

**आदेश**

**विषय:- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचन-मतदान केन्द्रों में निर्वाचकों की पहचान।**

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु उपबंध बनाए जा सकते हैं; तथा
2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है ; तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है ; तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के अधीन एक आदेश जारी किया है ; तथा

6. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्य के निर्वाचकों को काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि आगामी साधारण निर्वाचन की मतदान तिथि से पूर्व निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मतदाताओं को 'प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची' बांटी जाएंगी ;


8. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचन के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना पड़ेगा:-

- (i) पासपोर्ट
- (ii) डाइविंग लाइसेन्स,
- (iii) राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,
- (iv) बैंको / डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,
- (v) पैन कार्ड,
- (vi) आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी कि गए स्मार्ट कार्ड,
- (vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
- (viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- (ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- (x) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची,
- (xi) सांसदों, विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र; और
- (xii) आधार कार्ड।

9. ई.पी.आई.सी. के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहाँ वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,



(के.एफ.विल्फोर्ड)

प्रधान सचिव